राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.02.2017/7495-99 दिनांक :- 30 JUL 2018

आदेश

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर में कार्यरत रहे श्री विनोद कुमार सुखवाल, वरिष्ठ प्रारूपकार का दिनांक 03.10.2017 को निधन हो जाने के फलस्वरूप, इनके आश्रित पुत्र श्री हर्षवर्धन सुखवाल, जन्म–तिथि– 13.03.2000 (तेरह मार्च सन् दो हजार) को ''राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996'' के प्रावधानान्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पे मैट्रिक्स में लेवल संख्या L–1) के पद पर, 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में मासिक नियत पारिश्रमिक रूपये 12,400/– (समय–समय पर यथा–संशोधित) पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाकर कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर में पदस्थापन किया जाता है:–

1. अभ्यर्थी की जन्म–तिथि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2017; अनुक्रमांक 1193773 के प्रमाण–पत्र संख्या 0151691 के अनुसार अंकित की गई है। उक्त जन्म–तिथि अपरिवर्तनीय रहेगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित दस्तावेज/शपथ–पत्रों में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते हैं या प्रस्तुत शपथ–पत्रों का उल्लंघन किया जाता है तो विभाग द्वारा इनकी सेवाऐं किसी भी समय समाप्त की सकेंगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Remuneration) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति, कार्यग्रहण तिथि से मान्य होगी।
5. ''राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996'' के उप नियम 5(2) के अधीन नियुक्ति इस शर्त पर दी जा रही है कि अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति, परिवार के उन अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, उचित तौर पर भरण पोषण करेगा। यदि किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है, तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति को विभाग द्वारा स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान राजस्थान सिविल सेवाऐं (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 सपठित परिशिष्ठ–IV, समय–समय पर यथा–संशोधित; के अन्तर्गत मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते; यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होंगे।
7. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
8. परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय यह प्रतीत होता हो कि परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी की सेवाऐं संतोषजनक नहीं है तो विभाग द्वारा परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगा अथवा बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा तत्काल समाप्त भी की जा सकेगी।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838, 2560963 Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Fax No. 0141-2563702, 2560985 Website : www.urban.rajasthan.gov.in/ctp

Scanned by CamScanner

9. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त राजस्थान सिविल सेवाऐं (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 17 सपठित परिशिष्ठ–I Part-'B' में उक्त पद के लिए यथा–उपदर्शित पे–मैट्रिक्स में लेवल संख्या L–1 में वेतन निर्धारण किया जाकर नियमानुसार अन्य भत्ते इत्यादि देय होंगे।

10. "राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996" में यथा–उपबंधित के सिवाय; वेतन, भत्ते, पेंशन, अवकाश और सेवा की अन्य शर्तें,

(1) राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवम् सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999, समय–समय पर यथा–संशोधित;

(2) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथा–संशोधित;

(3) राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971, समय–समय पर यथा– संशोधित;

(4) राजस्थान सिविल सेवाऐं (अंशदायी) पेंशन नियम, 2005, समय–समय पर यथा–संशोधित;

(5) राजस्थान सिविल सेवाऐं (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय–समय पर यथा–संशोधित;

तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य नियमों/प्रावधानों, द्वारा विनियमित होंगी।

11. अभ्यर्थी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण–पत्र तथा अन्य वांछित शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अतः कार्यग्रहण से पूर्व इन्हें उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

12. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करना होगा।

30/7/18

(श्रीमती इन्दिरा)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.02.2017/7495-99 दिनांक :– 30 JUL 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक यूडीआर/9010/1480 दिनांक 16.11.2017 एवम् यूडीआर/9115/745 दिनांक 18.06.2018 के क्रम में श्री हर्षवर्धन सुखवाल द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की मूल प्रति सहित प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के कार्यग्रहण से पूर्व सभी प्रमाण–पत्रों का मूल से मिलान कर इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. कोषाधिकारी, उदयपुर/मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक(जेडएसपी), जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. **श्री हर्षवर्धन सुखवाल पुत्र स्वर्गीय श्री विनोद कुमार सुखवाल**, निवासी– मकान नम्बर 9–ए, मोनिका कॉम्प्लेक्स, अम्बामाता, उदयपुर।
5. श्री रतन लाल बैरवा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को श्री हर्षवर्धन सुखवाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ निजी पत्रावली संधारण हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

30/7/18

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

E:\2018_ADM\Apptt\Orders.doc

Scanned by CamScanner